न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प रामसर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 38/2016

अपीलांट

1. रामजीराम पुत्र राउड़ा उर्फ राउराम
2. शंकरलाल पुत्र राउड़ा उर्फ राउराम
   जाति मेगवाल निवासी सेतराउ तहसील रामसर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. तहसीलदार रामसर
2. छुगाराम पुत्र कबीरा
3. लुणाराम पुत्र कबीरा
4. मदन पुत्र उकरड़ा
5. लखा पुत्र उकरड़ा
6. हाकम पुत्र उकरड़ा
7. सुखा पुत्र उकरड़ा
8. तेजा पुत्र उकरड़ा
9. केकू बेवा उकरड़ा
10. गोमा पुत्र सोजा
11. देवा पुत्र सोजा
    जाति मेगवाल निवासी
    सेतराउ तहसील रामसर
12. प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.
    शाखा रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 23.9.2016 द्वारा तहसीलदार रामसर

उपस्थित– 1. अपीलांट संख्या 01 व 02 उपस्थित।
2. रेस्पाडेन्टस संख्या 01 की ओर से ना.तहसीलदार उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 02 व 03 उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 06.06.2017**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटस की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 358 रकबा 368.05 बीघा मौजा सेतराउ तहसील रामसर में आई हुई है। जिस पर अपीलांटस का कब्जा काश्त है। वक्त बंदोबस्त सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा भूलवश खसरा नंबर 358 का रकबा 68.05 बीघा तथा उक्त खसरे की करीब 300 बीघा भूमि को खसरा नंबर 357 जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 की खातेदारी की है, में दर्ज कर दिया, जबकि अपीलांटस का खसरा नंबर 358 रकबा 368.05 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसकी जानकारी होने पर अपीलांटस ने खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलक्टर रामसर के समक्ष पेश किया। सहायक कलक्टर रामसर द्वारा प्रकरण में दिनांक 20.12.2011

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

को खसरा नंबर 358 रकबा 368.01 बीघा मौजा सेतराउ में किसी प्रकार का बेचान इत्यादि नहीं करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थागन आदेश जारी किया गया, जो आदिनांक प्रभावी है। स्थागन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी रेस्पोडेंट संख्या 03 ने खसरा नंबर 357 मूल रकबा 68.05 बीघा के स्थान पर रकबा 368.05 बीघा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 12 के यहॉ रहन रख दी, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने रहननामा के अनुसार दिनांक 23.09.2016 को नामान्तरकरण संख्या 631 स्वीकृत किया गया। इसप्रकार तहसीलदार रामसर के आदेश दिनांक 23.9.2016 से शुब्ध होकर अपीलांटस ने यह अपील हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपीलांटस की अपील को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 00 व 03 उपस्थित हुए। रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार रामसर उपस्थित हुए।

3. हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। अपीलांटस का कथन हैं कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 23.9.2016 पारित करने से पूर्व तथ्यों एवं रेकर्ड की पूर्णतया जांच नहीं की गई। आलौच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व तहसीलदार रामसर द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवाद या वाद न्यायालय में लम्बित होने की जांच नहीं की गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 11 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामसर का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी भूमि बैंक के पास रहन रखकर ऋण लिया गया तथा तहसीलदार रामसर द्वारा रहननामा के आधार पर बैंक के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 23.9.2016 पारित किया गया जो नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंटस 02 का कथन हैं कि काश्त करने हेतु पैसो की आवश्यकता होने के कारण बैंक के पास भूमि रहन रख कर ऋण लिया गया जिस पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश लागू नहीं होता है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 03 ने भूमि का बेचान नहीं किया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

एवं न ही भूमि के मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन किया है। स्थगन काश्तकार को काश्त करने से रोकने का नहीं है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु बैंक से ऋण लेकर बैंक के पक्ष में रहननामा निष्पादित किया गया है तथा रहननामे के आधार पर तहसीलदार रामसर द्वारा नामान्तरकरण भरा गया है तो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार रामसर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 23.9.2016 को निरस्त करने हेतु पेश की है। अपीलाटस की पैतृक खातेदारी भूमि मौजा सेतराउ तहसील रामसर के खसरा नंबर 358 रकबा 368.05 बीघा आई हुई है। अपीलांटस के कथनानुसार वक्त सेटलमेंट उक्त खसरा नंबर की भूमि 68.05 बीघा दर्ज हो गई तथा उक्त खसरा नंबर की शेष 300 बीघा भूमि पास ही के खसरा नंबर 357 जो रेस्पोडेंट संख्या 02 से 11 की खातेदारी भूमि है, में दर्ज हो गई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर के समक्ष पेश किया हुआ है, जिसमें खसरा नंबर 358 रकबा 368.01 बीघा में किसी प्रकार का बेचान इत्यादि नहीं करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् दिनांक 20.12.2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। रेस्पोडेंटस संख्या 02 से 03 द्वारा अपने हिस्से की भूमि एसबीबीजे रामसर के पक्ष में रहन रख कर कृषि कार्य हेतु ऋण लिया गया, तहसीलदार रामसर द्वारा उक्त रहननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 23.9.2016 पारित किया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से अपीलांटस द्वारा पेश अपील खारिज करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को कोर्ट केम्प रामसर में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर